[2022] 1 एस. सी. आर 1163

ए.

यू. पी. राज्य बनाम

वीरपाल और ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 34) 1 फरवरी, 2022

बी.

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 32-मृत्यु घोषणा-प्रशंसा-मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा जिसमें मृतक ने विशेष रूप से कहा था कि पैसे की मांग को लेकर हुए झगड़े के कारण, प्रतिवादी-आरोपी ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालने के बाद उसे जला दिया-तथ्यों पर, मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है-मृत्यु घोषणा में बयान चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप हैं क्योंकि छाती पर कोई चोट नहीं थी और चोट केवल सिर और पीछे पाई गई थी-सिर और पीछे की ओर ऐसी चोटें केवल तभी संभव हो सकती थीं जब किसी ने मृतक पर पीछे से मिट्टी का तेल डाला हो-मृत्यु घोषणा का स्पष्ट मूल्य जो मृतक का इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा उसकी मृत्यु से पहले प्रमाण पत्र द्वारा और बढ़ाया गया था कि बयान देने के समय वह पूरी तरह से होश में थी -s.302 r/w।एस. 34.

सी.

डी.

ई.

साक्ष्य-मृत्यु घोषणा-साक्ष्य मूल्य-बिना पुष्टि के केवल मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

एफ.

पकड़नाः**1.**मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. के खिलाफ किसी भी आरोप के संबंध में इस आशय का कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि वह पक्षपाती था या आरोपी के खिलाफ मृत्यु घोषणा दर्ज करने में रुचि रखता था।अनुसंधान के दौरान उन्हें तलब किया गया और अनुसंधान के दौरान उन्होंने मृत्यु की घोषणा और मृतक का बयान दर्ज किया।यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी दुर्भावना के आधार पर मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा की

विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया है।उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु घोषणा पर भरोसा न करने के लिए दिया गया तर्क ए दर्ज किया गया

जी.

एच.

1163

1164 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा जर्मन नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा **22.12.2011** पर दर्ज मृत्यु घोषणा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है जिसमें मृतक ने विशेष रूप से कहा है कि **11** बजेः**00** पैसे की मांग को लेकर हुए झगड़े के कारण, प्रत्यर्थीगण-अभियुक्तों ने उस पर मिट्टी का तेल डालने के बाद उसे जला दिया। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा **22.12.2011** पर दर्ज मृत्यु घोषणा के बयान में, प्रत्यर्थीगण अभियुक्तों का विशेष रूप से नाम लिया गया है और यह विशेष रूप से कहा गया है कि उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डाला था।**[**पैरा **10] [1172-**जी-एच**; 1173-**ए-बी**]**

बी.

2. अभिलेख पर चिकित्सीय साक्ष्य और मृतक को लगी चोटों को देखते हुए भी, यह पाया गया है कि छाती पर कोई चोट नहीं थी और सिर और पीछे की ओर चोटें पाई गई थीं।जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से कहा गया है कि यदि उसने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या की होती तो छाती पर चोटें होतीं और साथ ही सिर और पीठ पर चोटें नहीं होतीं।मृतक के शरीर पर पाए जाने वाले ऐसे घाव केवल तभी संभव हो सकते थे जब किसी ने उसके पीछे से उस पर मिट्टी का तेल डाला होता।उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।**[**पैरा **10] [1173-**ई-एफ**]**

सी.

डी.

ई.

3. पुष्टि के बिना केवल मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है।**[**पैरा **10.1] [1174-**ख**]**

4. यद्यपि मृतक द्वारा आई. डी. **1** की धारा **161** के तहत दर्ज अपने बयान में आरोपी का विशेष रूप से नाम नहीं लिया गया था, लेकिन मृतक को आग लगाने वाले व्यक्ति के रूप में, उसकी मृत्यु घोषणा में उसका नाम लिया गया है।यहां तक कि आई. डी. **1** की धारा **161** के तहत दर्ज बयान में भी मृतक ने कहा है कि उसके ससुर ने उसे मारने के इरादे से उस पर

लाठी से हमला किया था और इसके परिणामस्वरूप, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और खुद को आग लगा ली।इसलिए, मृतक के बयानों में एक आम धागा है, यह कि उस पर आरोपी-प्रतिवादी द्वारा हमला किया गया था।इसके अलावा, मृतक द्वारा अपनी मृत्यु घोषणा में दिए गए बयान चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप हैं जिससे पता चलता है कि छाती और पेट के किनारों और पीठ को छोड़कर शरीर के सभी हिस्सों में जलन हुई थी।जलन ऐसे हिस्सों में होती है जो तब हो सकती है जब कोई व्यक्ति, अन्य ए

एफ.

जी.

एच.

1165

यू. पी. राज्य बनामवीरपाल और ए. एन. आर.

मृतक ने मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी।अगर मृतक ने खुद को आग लगा ली होती तो उसकी छाती जलनी चाहिए थी।चिकित्सा साक्ष्य मृत्यु घोषणा के अनुरूप है, जिससे इस न्यायालय को घोषणाओं पर भरोसा करने की अनुमति मिलती है।**[**पैरा **10.2] [1175-**डी**-**जी**]**

बी.

5. ट्रायल कोर्ट ने मृतक की मृत्यु घोषणा पर रखे जाने वाले वजन और निर्भरता के बारे में सही टिप्पणी की है।उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की मृत्यु घोषणा की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं था।यह ध्यान दिया जाता है कि मृतक द्वारा अनुमंडल मजिस्ट्रेट **(**एस**.** डी**.** एम**.)** को मृत्यु की घोषणा की गई थी।उसके बयान से पता चलता है कि बयान देने के समय मृतक पूरी तरह से होश में था और उस अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम था जिसे घोषणा की गई थी।मृत्यु घोषणा के साक्ष्य मूल्य को इस तथ्य से और बढ़ाया जाता है कि इसके साथ उस चिकित्सक का प्रमाण पत्र था जो मृत्यु से पहले मृतक का इलाज कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि बयान देते समय मृतक पूरी तरह से होश में था।निचली अदालत ने इस तरह की घोषणा करते समय मृतक की चिकित्सा स्थिति के बारे में चिकित्सक द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु घोषणा पर भरोसा करना उचित ठहराया।ट्रायल कोर्ट ने यह भी सही कहा है कि मुकदमे में स्वतंत्र गवाह होने के नाते एस**.** डी**.** एम**.** और चिकित्सक के बयानों ने अभियोजन पक्ष के मामले में वजन बढ़ाया है क्योंकि इसे द्वेष से प्रेरित नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **10.2] [1175-**जी**-**एच**; 1176-**ए**-**सी**]**

सी.

डी.

ई.

6. एस**.** डी**.** एम**./**मजिस्ट्रेट द्वारा **22.12.2011** पर दर्ज मृत्यु घोषणा को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। इसलिए**,** उच्च न्यायालय ने आरोपी को बरी करने में गंभीर गलती की है।भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **34** के साथ पठित धारा **302** के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को बरी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और दरकिनार करने के योग्य है।**[**पैरा **11] [1176-**डी**-**ई**]**

एफ.

जी.

मुन्नू राजा और अन्र बनामएम**.** पी**.** राज्य **(1976) 3** एस**.** सी**.** सी**. 104:[1976] 2** एससीआर **764;** पानीबेन **(**श्रीमती**)** बनाम गुजरात राज्य**,**

(1992) 2 एससीसी 474:[1992] 2 एस. सी. आर. 197; उत्तर राज्य

एच.

1166 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

ए.

प्रदेश बनाम राम सागर यादव और अन्य। **(1985) 1** एससीसी **552:[1985] 2** एस**.** सी**.** आर**. 621;** रामावती देवी बनाम बिहार राज्य**, (1983) 1** एस**.** सी**.** सी**. 211** और कुशल राव बनाम बॉम्बे राज्य**,**

ए**.** आई**.** आर **1958** एस**.** सी **22:[1958]** एस**.** सी**.** आर**. 552-**निर्भर।

रवि चंदर और ओआरएस**.** वी**.**पंजाब राज्य **(1998) 9** एस**.** सी**.** सी**. 303;** हरजित कौर बनाम पंजाब राज्य **(1999) 6** एस**.** सी**.** सी**. 545;** कोली चुनीलाल सावजी और अन्र। वी**.**गुजरात राज्य **(1999) 9**

बी.

एससीसी 562:[1999] 3 पूरक।एससीआर 284; विकास और ओआरएस. वी.महाराष्ट्र राज्य (2008) 2 एससीसी 516:[2008]

1 एससीआर **933;** लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2002) 6** एससीसी **710;** जगबीर सिंह बनाम राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**) (2019)**

सी.

8 एससीसी 779:[2019] 11 एस. सी. आर. 1137; अमोल सिंह बनाम एम. पी. राज्य, (2008) 5 एससीसी 468:[2008] 8 एससीआर 956;

कुंडुला बाला सुब्रमण्यम और अन्र बनामआंध्र राज्य

प्रदेश (1993) 2 एससीसी684:[1993] 2 एस. सी. आर. 666-संदर्भित।

डी.

मामला कानून संदर्भ

(1998) 9 एससीसी **303**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.3**

(1999) 6 एस**.** सी**.** सी**. 545**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.3**

[1999] 3 पूरक।पैरा **5.3 [2008] 1** एस**.** सी**.** आर**. 933** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 284**

ई.

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.3**

(2002) 6 एस**.** सी**.** सी**. 710**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.3**

[2019] 11 एससीआर **1137**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.3**

[2008] 8 एससीआर **956**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.4**

एफ.

[1993] 2 एससीआर **666**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.4**

[1976] 2 एससीआर **764**

उस पर भरोसा करें

पैरा **5.4**

[1992] 2 एससीआर **197**

उस पर भरोसा करें

पैरा **10.1**

जी.

[1985] 2 एससीआर **621**

उस पर भरोसा करें

पैरा **10.1**

(1983) 1 एससीसी **211**

उस पर भरोसा करें

पैरा **10.1**

[1958] एससीआर **552**

उस पर भरोसा करें

पैरा **10.2** ए

एच.

1167

यू. पी. राज्य बनामवीरपाल और ए. एन. आर.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 34।

2015 की आपराधिक अपील No.4658 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.05.2020 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री गरिमा प्रसाद, ए. ए. जी., विष्णु शंकर जैन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बी.

पी. एस. खुराना, विभूति सुशांत गुप्ता, नरेंद्र कुमार वर्मा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

एम. आर. शाह, जे.

1. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2015 की आपराधिक अपील संख्या 4658 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इसमें प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है-मूल अभियुक्त और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पढ़े गए अपराधों के लिए अभियुक्त को बरी कर दिया है, राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

डी.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः- 2.1 उस पीडब्लू-1 बंगाली बाबू ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जिसे शुरू में भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 326 के तहत अपराधों के लिए अपराध No.1144/11 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसका प्रभाव यह था कि 20.12.2011 पर लगभग 2:30 शाम को, उसे मृतक की बेटी राधा का फोन आया कि उसकी माँ जल गई है।वह तुरंत अस्पताल पहुंचे और उस समय एस. डी. एम. मृतक का बयान ले रहे थे।उसके अनुसार, लड़की ने बताया कि उसके ससुर और सास ने पैसे की मांग की और जब उसने इनकार किया तो उस पर हमला किया गया और उसके बाद उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे जलती हुई माचिस की छड़ी से जला दिया।अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान शुरू की।उन्होंने संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए और चिकित्सा साक्ष्य सहित आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।अनुसंधान पूरा होने के बाद, अनुसंधान अधिकारी ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित अपराधों के लिए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप तय किया।आरोपी ने आरोप से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया।इसलिए, उन्होंने उपरोक्त अपराधों के लिए निचली अदालत द्वारा मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1168

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

ए.

2.2 अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों से पूछताछ की।पीडब्लू-5 शत्रुतापूर्ण हो गया।अभियोजन पक्ष ने दो मृत्यु घोषणाओं सहित दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किए, जिनमें से एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया और दूसरा मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा दर्ज किया गया। साक्ष्य की सराहना और दो मृत्यु घोषणाओं पर विचार करने पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा पर विश्वास किया और आगे कहा कि आरोपी की ओर से बचाव पक्ष ने कहा कि मृतक ने खुद उस पर मिट्टी का तेल डाला था, जो रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य को देखते हुए विश्वसनीय नहीं है।इसके बाद विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बी.

सी.

3. निचली अदालत द्वारा लगाए गए फैसले और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील No.4658/2015 को प्राथमिकता दी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया है कि दो मृत्यु घोषणाएं थीं, एक 20.12.2011 पर दर्ज की गई थी और दूसरी 22.12.2011 पर दर्ज की गई थी और दो मृत्यु घोषणाओं के बीच दो दिनों का अंतराल था।उच्च न्यायालय ने आगरा के एस. डी. एम./उपायुक्त द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु घोषणा पर भरोसा करने के बजाय और दोनों मृत्यु घोषणाओं पर अविश्वास करने के बजाय आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि मृतक के अनुसार जब उसे पैसे देने के लिए मजबूर किया गया था और जब उसने इनकार कर दिया था, तो आरोपी ने हमला करने की कोशिश की और वह भाग गई और इस दबाव में कि उसने उस पर मिट्टी का तेल डाला होगा।

डी.

ई.

4. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित अपराधों के लिए अभियुक्त को बरी करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

एफ.

5. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने जोर देकर कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित गंभीर अपराधों के लिए आरोपी को बरी करने में गंभीर त्रुटि की है।

जी.

5.1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय को सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा पर भरोसा करना और विचार करना चाहिए था।

एच.

1169

यू. पी. राज्य बनामवीरपाल और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना पर इस तरह के ठोस कारण दिए गए थे कि आई. ओ. के समक्ष बयान जिसे 20.12.2011 पर पहली मृत्यु घोषणा माना गया था, किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित उपरोक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना पर था, विशेष रूप से चिकित्सा साक्ष्य।

बी.

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा Cr.PC की धारा 161 के तहत आई. ओ. को की गई घोषणा की तुलना में उच्च स्तर पर होगी।

रवि चंदर और अन्य के मामले। **5.** पंजाब राज्य **(1998) 9** एस**.** सी**.** सी**. 303 (**पैरा **6);** हरजित कौर बनाम पंजाब राज्य **(1999) 6** एस**.** सी**.** सी**. 545, (**पैरा **6);** कोली चुनीलाल सावजी और अन्र। **5.** गुजरात राज्य **(1999) 9** एस**.** सी**.** सी**. 562 (**पैरा **8);** विकास और अन्य। **V.** महाराष्ट्र राज्य **(2008) 2 SCC 516 (**पैरा **48);** लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2002) 6 SCC 710** और जगबीर सिंह बनाम राज्य **(NCT** दिल्ली**) (2019) 8 SCC 779 (**पैरा **21)**।

सी.

डी.

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि दोनों मृत्यु घोषणाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और मृतक की कई मृत्यु घोषणाओं पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में मृतक की कई मृत्यु घोषणाओं पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामले इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हैं -

ई.

अमोल सिंह बनाम एम**.** पी**.** राज्य**, (2008) 5** एस**.** सी**.** सी**. 468 (**पैरा **13);** कुंडुला बाला सुब्रमण्यम और अन्र। **V.** आंध्र प्रदेश राज्य **(1993) 2** एस**.** सी**.** सी**. 684 (**पैरा **18);** मुन्नू राजा और अन्र। वी**.** स्टेट ऑफ एमपी**, (1976) 3**

एफ.

एस. सी. सी. 104 (पैरा 6)।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है, अभिलेख पर कोई पुष्टिकारक साक्ष्य के बिना मृतक की मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है।

5.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने मृत्यु घोषणाओं, विशेष रूप से मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा पर बिना किसी ठोस कारण के भरोसा न करने में गलती की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया है और/या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से द्वेष के संबंध में कुछ भी नहीं देखा है जिसने 22.12.2011 पर बयान दर्ज किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है इसलिए उच्च न्यायालय को बरकरार रखना चाहिए था

जी.

एच.

मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा 22.12.2011 पर दर्ज मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि।

5.6 इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है और विवादित निर्णय और आदेश को रद्द और दरकिनार किया जाना चाहिए और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार/बहाल किया जाना चाहिए।

बी.

6. वर्तमान अपील का श्री पी. एस. खुराना ने जोरदार विरोध किया है, जो प्रत्यर्थीगण-मूल अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता हैं।मूल अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और कई मृत्यु घोषणाओं को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को सही ढंग से बरी कर दिया है।

सी.

6.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही देखा कि एक बार पुलिस अधिकारी द्वारा 20.12.2011 पर मृत्यु घोषणा दर्ज की गई थी, उसके बाद 22.12.2011 पर एक और मृत्यु घोषणा दर्ज करने का कोई कारण नहीं था।

डी.

6.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 20.12.2011 पर दर्ज की गई पहली मृत्यु घोषणा में उसने कहा कि ससुर के डर से उसने आत्महत्या कर ली और प्रत्यर्थी नंबर 1-ससुर को सौंपी गई भूमिका उसकी पहली मृत्यु घोषणा दिनांक 20.12.2011 में केवल पिटाई के लिए उसका पीछा करने की थी न कि जलाने के लिए, और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई दूसरी मृत्यु घोषणा में, एक हमला हुआ था और पीड़ित-मृतक ने परिवार के अन्य सभी सदस्यों को फंसाया था, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है।

ई.

एफ.

6.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि साक्ष्य के मूल्यांकन पर, उच्च न्यायालय ने कहा है कि मृतक मानसिक रूप से कमजोर था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए ऐसी मानसिक स्थिति में और उसके ससुर के डर से कि जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसे पीटा जाएगा, उसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली; हत्या का कोई मामला सामने नहीं आया है और इसलिए, उच्च न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सही ढंग से बरी कर दिया है।

जी.

7. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

एच.

1171

यू. पी. राज्य बनामवीरपाल और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

9. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान मामले में दो मृत्यु घोषणाएं हैं, एक पुलिस अधिकारी द्वारा 20.12.2011 पर दर्ज की गई है और दूसरी मजिस्ट्रेट/STM द्वारा 22.12.2011 पर दर्ज की गई है।यहां तक कि विवादित निर्णय और आदेश में भी, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि मरने वाली घोषणाओं में से कोई भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा 22.12.2011 पर दर्ज मृत्यु घोषणा पर मुख्य रूप से इस आधार पर विश्वास नहीं किया है कि जब पुलिस अधिकारी द्वारा मृत्यु घोषणा पहले ही 20.12.2011 पर दर्ज की जा चुकी थी, तो मृत्यु की दूसरी घोषणा दर्ज करने का कोई कारण नहीं था।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पुलिस अधिकारी द्वारा 20.12.2011 पर जो दर्ज किया गया था, वह धारा 161 Cr.PC के तहत बयान था। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक की मृत्यु घोषणा दर्ज करना उचित समझा गया था और यही कारण है कि एस. डी. एम. को 22.12.2011 पर मृतक की मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए बुलाया गया था।दोहराव की कीमत पर, यह देखा गया है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी विशेष रूप से कहा है कि 20.12.2011 पर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया पहला बयान/मृत्यु घोषणा किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।मामले के उस दृष्टिकोण में, यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा 22.12.2011 पर दर्ज किए गए मृत्यु घोषणा पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं और क्या मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा दर्ज किए गए इस तरह के मृत्यु घोषणा के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं।

बी.

सी.

डी.

ई.

9.1 उपरोक्त प्रश्न/मुद्दे पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा की विश्वसनीयता पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

9.1.1 लक्ष्मण (उपरोक्त) के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा की विश्वसनीयता पर पहले के फैसलों का उल्लेख करने और उन पर विचार करने के बाद, यह देखा गया कि मजिस्ट्रेट एक उदासीन गवाह और एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते और यह संदेह करने के लिए कोई परिस्थिति या सामग्री नहीं है कि मजिस्ट्रेट की आरोपी के खिलाफ कोई दुश्मनी थी या किसी भी तरह से मृत्यु घोषणा गढ़ने में रुचि थी, मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज घोषणा पर संदेह का सवाल नहीं उठता है।

एफ.

जी.

9.1.2 जगबीर सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय को मृत्यु घोषणा और कई मृत्यु घोषणाओं की समस्या से संबंधित कानून पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला।यह देखा गया और माना गया कि केवल इसलिए कि दो/कई मृत्यु घोषणाएँ हैं, सभी

एच.

मृत्यु घोषणाओं को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।यह देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि जब कई मृत्यु घोषणाएं होती हैं तो मामले का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना चाहिए और अदालत को रिकॉर्ड पर सामग्री की संपूर्णता की सावधानीपूर्वक जांच करने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही विभिन्न मृत्यु घोषणाएं करने के आसपास की परिस्थितियों से भी मुक्त नहीं किया जाएगा।अंततः, पैराग्राफ 32 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः-

बी.

" कई मृत्यु घोषणाओं पर हमारा निष्कर्ष

32 हम सोचेंगे कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में, जब एक से अधिक मृत्यु घोषणाएं होती हैं, और पहले मृत्यु घोषणा में, आरोपी को शामिल करने की मांग नहीं की जाती है, लेकिन बाद में मृत्यु घोषणा में, मृतक द्वारा एक आकस्मिक हमला किया जाता है, तो मामले का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना चाहिए।न्यायालय को संपूर्ण सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही विभिन्न मृत्यु घोषणाओं को करने के आसपास की परिस्थितियों से भी मुक्त नहीं किया जाएगा।यदि अदालत को पता चलता है कि दोषपूर्ण मृत्यु घोषणा विशेष रूप से मृतक की

ऐसी घोषणा करने की क्षमता के संयोजन के साथ सच्ची स्थिति को सामने लाती है, तो जिस स्वैच्छिकता के साथ इसे बनाया गया था, जिसमें कोई संदेह नहीं है, शिक्षण और उकसाने को खारिज करना और अन्य सबूत जो दोषपूर्ण मृत्यु घोषणा की सामग्री का समर्थन करते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है।समान रूप से, उन परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है जो पहले की मृत्यु घोषणा को स्वीकार करने के योग्य या अयोग्य बनाती हैं।"

सी.

डी.

ई.

इस न्यायालय द्वारा मामले में इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं

रवि चंदर और अन्य **(**ऊपर**),** हरजीत कौर **(**ऊपर**),** कोली चुनीलाल सावजी और अन्य **(**ऊपर**)** और विकास और अन्य **(**ऊपर**)**।

एफ.

10. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा 22.12.2011 पर दर्ज मृत्यु घोषणा पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं। मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. के खिलाफ किसी भी आरोप के संबंध में इस आशय का कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि वह पक्षपाती था या आरोपी के खिलाफ मृत्यु घोषणा दर्ज करने में रुचि रखता था।अनुसंधान के दौरान उन्हें तलब किया गया और अनुसंधान के दौरान उन्होंने मृत्यु की घोषणा और मृतक का बयान दर्ज किया।यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी दुर्भावना के आधार पर मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया है।उच्च न्यायालय द्वारा मजिस्ट्रेट/एस. डी. एम. द्वारा दर्ज मृत्यु घोषणा पर भरोसा नहीं करने के लिए दिया गया तर्क स्पष्ट नहीं है और ए.

जी.

एच.

1173

यू. पी. राज्य बनामवीरपाल और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

स्वीकार नहीं किया जा सकता है।हम मजिस्ट्रेट द्वारा 22.12.2011 पर दर्ज मृत्यु घोषणा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं जिसमें मृतक ने विशेष रूप से कहा था कि 11 बजेः00 पैसे की मांग को लेकर हुए झगड़े के कारण, प्रत्यर्थीगण-अभियुक्तों ने उस पर मिट्टी का तेल डालने के बाद उसे जला दिया।इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा 22.12.2011 पर दर्ज मृत्यु

घोषणा के बयान में, प्रत्यर्थीगण अभियुक्तों का विशेष रूप से नाम लिया गया है और यह विशेष रूप से कहा गया है कि उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डाला था।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जहां तक आई. ओ. द्वारा 20.12.2011 पर दर्ज किया गया बयान दर्ज किया गया है, यह दर्ज किया गया है कि ससुर ने पैसे की मांग की और उसे छड़ी से पीटना शुरू कर दिया, वह भाग गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में आकर उसने कमरे में उपलब्ध मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली, क्योंकि पुलिस अधिकारी द्वारा 20.12.2011 पर दर्ज किए गए उक्त बयान/मृत्यु घोषणा पर दर्ज चिकित्सा साक्ष्य किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।चिकित्सा साक्ष्य उक्त मृत्यु घोषणा में बताए गए संस्करण का समर्थन नहीं करता है।यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपी के अनुसार भी ससुर उसे अस्पताल ले गए थे।यदि मृत्यु की पहली घोषणा में मृतक का बयान कि उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था और गुस्से में मिट्टी का तेल डाला था, स्वीकार किया जाता है, तो उस मामले में आरोपी द्वारा यह नहीं बताया जाता है कि उसे अस्पताल कैसे ले जाया गया, क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि ससुर-आरोपी द्वारा दरवाजा तोड़ा/खोला गया था और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था।अभिलेख पर चिकित्सीय साक्ष्य और मृतक को लगी चोटों को देखते हुए भी, यह पाया गया है कि छाती पर कोई चोट नहीं थी और सिर और पीछे की ओर चोटें पाई गई थीं।जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से कहा गया है कि यदि उसने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या की होती तो छाती पर चोटें होतीं और साथ ही सिर और पीठ पर चोटें नहीं होतीं।हमारे विचार में, मृतक के शरीर पर पाए जाने वाले ऐसे घाव केवल तभी संभव हो सकते थे जब किसी ने उसके पीछे से उस पर मिट्टी का तेल डाला होता।उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

10.1 अब, इस पहलू पर कि क्या किसी पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में, केवल मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, जिसका संबंध मुन्नू राजा और अन्न (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और पानीबेन के मामले में बाद के निर्णय से है।

जी.

(श्रीमती) बनाम गुजरात राज्य, (1992) 2 एस. सी. सी. 474 को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

को।उपरोक्त निर्णयों में, यह विशेष रूप से देखा जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि न तो कानून का नियम है और न ही इस प्रभाव का विवेक है कि मृत्यु घोषणा पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती है।यह देखा जाता है

एच.

1174

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

और अभिनिर्धारित किया कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्यु घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी पुष्टि के उस पर अपनी दोषसिद्धि का आधार बना सकता है।उत्तर प्रदेश राज्य के मामलों में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।

वी. राम सागर यादव और अन्य। **(1985) 1** एस. सी. सी. **552** और रामावती देवी बनाम बिहार राज्य**, (1983) 1** एस. सी. सी. **211**।इसलिए**,** एक हो सकता है

पूरी तरह से पुष्टि के बिना मृत्यु घोषणा के आधार पर दोषसिद्धि।

बी.

10.2 कुशल राव बनाम बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22:1958

एस. सी. आर. 552 मृत्यु घोषणाओं के साक्ष्य मूल्य पर कानून पर एक निर्णायक निर्णय है। इस न्यायालय ने उन परिस्थितियों के बारे में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए जिनके तहत मृत्यु घोषणा को बिना पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता हैः-

सी.

“16. साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय में तय किए गए मामलों की समीक्षा करने पर, हम मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की राय से सहमति जताते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि (1) यह कानून के एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकती है जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है; (2) कि प्रत्येक मामले को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिनमें मृत्यु घोषणा की गई थी; (3) यह एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु घोषणा अन्य साक्ष्यों की तुलना में एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है; (4) कि मृत्यु घोषणा उसी आधार पर खड़ी होती है जैसे कि

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1175

यू. पी. राज्य बनामवीरपाल और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

इसके आधिकारिक रिकॉर्ड के अलावा एक अंतिम घोषणा करना; और यह कि बयान जल्द से जल्द अवसर पर दिया गया था और इच्छुक पक्षों द्वारा शिक्षण का परिणाम नहीं था।"

उक्त मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि मृतक ने दो घंटे की अवधि के भीतर लगातार तीन मृत्यु घोषणाएं की थीं, जो कुछ हद तक एक-दूसरे के विरोधाभासी थीं।हालाँकि, एक पहलू जो आम बना रहा और मृतक द्वारा तीनों मृत्यु घोषणाओं में वर्णित किया गया था, वह यह था कि उस पर दो व्यक्तियों, कुशल राव और तुकाराम ने तलवारों और भाले से हमला किया था।इस न्यायालय ने सभी मृत्यु घोषणाओं के माध्यम से चलने वाले सामान्य धागे पर भरोसा करते हुए, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों पर छिद्रित और छिद्रित घावों का खुलासा करने वाले चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप था, यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त घोषणाओं को अभियुक्त को दोषी ठहराने में भरोसा किया जा सकता है, जिसका नाम तीनों मृत्यु घोषणाओं में लिया गया था।

बी.

सी.

उक्त तथ्यों को तत्काल मामले के तथ्यों से जोड़ते हुए, हमने नोट किया है कि हालांकि मृतक द्वारा धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में आरोपी का विशेष रूप से नाम नहीं लिया गया था, क्योंकि मृतक को आग लगाने वाले व्यक्ति के रूप में, उसकी मृत्यु घोषणा में उसका नाम लिया गया है।यहां तक कि आई. डी. 1 की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में भी मृतक ने कहा है कि उसके ससुर ने उसे मारने के इरादे से उस पर लाठी से हमला किया था और इसके परिणामस्वरूप उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और खुद को आग लगा ली।इसलिए, हम पाते हैं कि मृतक के बयानों में एक आम धागा है, यह कि उस पर आरोपी-प्रतिवादी द्वारा हमला किया गया था।इसके अलावा, हम यह भी पाते हैं कि मृतक द्वारा अपनी मृत्यु घोषणा में दिए गए बयान चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप हैं जिससे पता चलता है कि छाती और पेट और पीठ के किनारों को छोड़कर शरीर के सभी हिस्सों में जलन हुई थी।जलन ऐसे हिस्सों में होती है जिसके परिणामस्वरूप मृतक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी।जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यदि मृतक ने खुद को आग लगा ली थी, तो

उसकी छाती को जला दिया जाना चाहिए था।उपरोक्त चर्चा और कुशल राव (उपरोक्त) में निर्णय के आलोक में, हम पाते हैं कि चिकित्सा साक्ष्य मृत्यु घोषणा के अनुरूप है, जिससे इस न्यायालय को घोषणाओं पर भरोसा करने की अनुमति मिलती है।ट्रायल कोर्ट ने मृतक की मृत्यु घोषणा पर रखे जाने वाले वजन और निर्भरता के बारे में सही टिप्पणी की है।उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की मृत्यु घोषणा की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं था।यह ध्यान दिया जाता है कि मृतक द्वारा उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एस. डी. एम.) बाल किशन अग्रवाल को मृत्यु की घोषणा की गई थी, जिन्होंने

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1176

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह (पीडब्लू-6) के रूप में भी पूछताछ की गई थी।उसके बयान से पता चलता है कि बयान देने के समय मृतक पूरी तरह से होश में था और उस अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम था जिसे घोषणा की गई थी।मृत्यु घोषणा के साक्ष्य मूल्य को इस तथ्य से और बढ़ाया जाता है कि इसके साथ उस चिकित्सक का प्रमाण पत्र था जो मृत्यु से पहले मृतक का इलाज कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि बयान देते समय मृतक पूरी तरह से होश में था।निचली अदालत ने इस तरह की घोषणा करते समय मृतक की चिकित्सा स्थिति के बारे में चिकित्सक द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु घोषणा पर भरोसा करना उचित ठहराया।ट्रायल कोर्ट ने यह भी सही कहा है कि मुकदमे में स्वतंत्र गवाह होने के नाते एस. डी. एम. और चिकित्सक के बयानों ने अभियोजन पक्ष के मामले में वजन बढ़ाया है क्योंकि इसे द्वेष से प्रेरित नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

11. इसलिए, एस. डी. एम./मजिस्ट्रेट द्वारा 22.12.2011 पर दर्ज मृत्यु घोषणा पर विचार करते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था।इसलिए हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करने में गंभीर

त्रुटि की है।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को बरी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और दरकिनार करने के योग्य है। 12. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति है।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी को बरी करने के विवादित फैसले और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को एतद्वारा बहाल किया जाता है।प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2-मूल अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया है।आजीवन कारावास की सजा से गुजरने के लिए संबंधित अदालत या जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आरोपी।वर्तमान अपील को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी गई है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

एच.